न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 19/2018 तारीख रजू :– 01.02.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. रमेश चन्द ठठेरा पुत्र रामदास ठठेरा (फर्म मालिक) मैसर्स रितेश किराना एण्ड जनरल स्टोर सब्जी मण्डी शहर सवाई माधोपुर

.....अभियुक्त संख्या 1

2. रामदास मंत्री पुत्र हनुमान दास मंत्री बी–90 हाउसिंग कॉलोनी विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर(फर्म मालिक) मैसर्स महेश दाल भण्डार खण्डेला हाउस निर्वाण मार्ग झोटवाड़ा रोड़ जयपुर 302016

.....अभियुक्त संख्या 2

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम और विनियम,2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व धारा 52

निर्णयः– दिनांक 04-01-2022

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमारा चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम,2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 06.08.2017 को समय 2.00 पी.एम. पर मैसर्स मैसर्स रितेश किराना एण्ड जनरल स्टोर सब्जी मण्डी शहर सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर रमेश चन्द ठठेरा पुत्र रामदास ठठेरा निवासी ठठेरा कुण्ड, बिजली ऑफिस के पास शहर सवाई माधोपुर उपस्थित मिला आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया,दुकान में खाद्य पदार्थ मसाले, दाले, घी, चावल, मेदा, नमकीन, तेल आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित रखी हुयी थी दुकान की रेक में खाद्य पदार्थ मैदा (गणगोर) 500 ग्राम की पेकिंग में 14 पाउच विक्रय हेतु रखे हुए थे जिसका मानक स्तर का नहीं होनें का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र तथा खाद्य पदार्थ मैदा (गणगोर) 500 ग्राम का क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तथा क्रय बिल की प्रति मौके पर पेश की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा (गणगोर) 500 ग्राम के पाउच के 4 पाउच वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 80/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा (गणगोर) 500 ग्राम के चार पाउच को जो विक्रेता से खरीद की गयी को 4 प्लास्टिक के जारों में भरकर ऐयरटाईट बन्द कर चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच– 1244 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में सलीम, वाहन चालक कार्यालय मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की तथा दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी.ओ.(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/2948 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 641/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/654 दिनांक 18.08.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मैदा (गणगोर) 500 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया। उक्त प्रकरण में उपर अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ मैदा (गणगोर) 500 ग्राम का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम,2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 की ओर से वकालतनामा श्री धर्मचन्द जैन एड. ने पेश किया तथा अभियुक्त संख्या 2 की ओर से वकालत नामा श्री हरिशंकर बैरवा एड. द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मैदा(गणगोर)500 ग्राम का विक्रय व

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम,2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त संख्या 1 के वकील द्वारा जबाव/बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्त से लिये गये सेम्पल खाद्य पदार्थ गणगौर ब्राण्ड मैदा को अभियुक्त संख्या 2 से जरिये बिल खरीद किया गया है तथा उक्त खरीदी बिल सेम्पल लेते वक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दे दिया गया है। पुनश्च वकील अभियुक्त संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया की अभियुक्त संख्या दो ही सेम्पल गणगौर ब्राण्ड मैदा का निर्माता है अतः सेम्पल के मिसब्राण्ड पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त संख्या 2 की है। अभियुक्त संख्या 2 के वकील को जवाब हेतु **6 बार अवसर** प्रदान किये जाने के पश्चात दिनांक 07–04–2021 को न्यायहित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाने के उपरांत भी न्यायालय हाजा में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभियुक्त संख्या 2 का आदेशिका दिनांक 02–08–2021 के द्वारा जवाब बंद किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 641/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/654 दिनांक 18.08.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मैदा (गणगौर ब्राण्ड)500 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया जिसका निर्माण व विक्रय कर निर्माता व विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, व नियम,2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है। जहाँ तक अभियुक्त संख्या 1 के वकील का तर्क है कि उसके पक्षकार ने मैदा(गणगौर ब्राण्ड)500 ग्राम की खरीद अभियुक्त संख्या 2 से की है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम,2011 और विनियम,2011 की धारा 52 के तहत मिसब्राण्ड प्रकार के खाद्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ बेचना भी जुर्माने योग्य अपराध उल्लेखित है। अतः अभियुक्त संख्या 1 को भी मिसब्राण्ड प्रकार का मेदा(गणगोर)500 ग्राम का विक्रय करने पर तथा अभियुक्त संख्या 2 को **मिसब्राण्ड** प्रकार को मेदा(गणगोर)500 ग्राम का निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, व नियम,2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) के अन्तर्गत दोषी करार दिया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य को कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। अतः अभियुक्तों को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मैदा(गणगौर) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 2 पर 1,00,000/– रू0(अक्षरे एक लाख रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक एक प्रति अभियुक्तों को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रतियाँ जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04-01-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर